

A-III
95

राज्य प्रमुख कार्यालय
नृसुन शिक्षा विभाग
अधिसूचना

संख्या ७७७, धीरान - ६६३००६

प्रति सं १३-११/३०-३/२००३ धीरान, तिरुवा -
प्रति,

साधु,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा विभाग,
प्रति, नई दिल्ली ।

विषय :- असाक्षीय प्रवृत्ति निवारण रिश्चरम्बु कॉलोनी तुरार, न्यायिपर
को सी.बी.एन.ई. से सम्बन्धित हेतु सं.डी.सी. को वाक्य ।
०० ०० ००

राज्य शासन द्वारा असाक्षीय प्रवृत्ति निवारण रिश्चरम्बु कॉलोनी
तुरार न्यायिपर को सी.बी.एन.ई. नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु असाक्षीय प्रवृत्ति
व्यक्तिगत प्रवृत्ति निवारण विभागिक कार्य पर दिया जाता है :-

- १- शिक्षा को अपनी कार्य क्रमिक में एक प्रविष्टि शिक्षा विभाग अधिकारी
को अपने को या उनके प्रविष्टि को कार्यालय कोवा होना तथा उनके
प्रविष्टि के स्व में माध्यमिक शिक्षा कार्य के संबंध [वरीका] को
या उनके प्रविष्टि को कार्यालय कोवा अन्वित होना ।
- २- नीतिगत निर्णयों में इन दोनों कॉलोनी अधिकारियों को अन्वित करना
होना ।
- ३- असाक्षीय शासन द्वारा शिक्षा प्रचार-प्रसार के लिए लिए गए निर्णयों में
यदि संभव है शिक्षा कार्य को अन्वित की जाती है तो ऐसे कार्य को
संस्था को करना होना ।
- ४- केन्द्रीय नितिविधियों में यदि संभव पावे तो सम्बन्धित सूचक पर लक्ष्य
है, वहन्तु संभव न होने पर भी यदि असाक्षीय शासन, नृसुन शिक्षा विभाग
को उनके शिक्षा के परिसर या अन्य की आवश्यकता पड़ती है तो यह
अन्वित करना होना ।

निर्देश ३ पर.....

Ramesh
सचिव

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा विभाग
तिरुवा प्रमुख कार्यालय तुरार (१३००)

